कार्यालय – वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा

वन भवन, स्थान+पो0+जिला – चतरा, झारखण्ड – 825401

फोन नं0 – 06541-253690, Email – cf-chatra@gov.in

पत्रांक – 83 दिनांक – 12/02/26

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
हजारीबाग।

विषय – चतरा जिला अन्तर्गत हरहद से बभने अरिहन्त पेट्रोल पंप तक सिटी गैस पाईप लाईन निर्माण हेतु कुल 0.3889 हे0 (चतरा उत्तरी– 0.1082 हे0 एंव चतरा दक्षिणी– 0.2807 हे0) वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग – प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रॉची का ज्ञापांक 185 दिनांक 22.02.2024 एवं आपका ज्ञापांक 389 दिनांक 26.02.2024

महाशय,

उपयुर्क्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा 10 बिन्दुओं पर की गई पृच्छा के आलोक में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल ने अपने पत्रांक 947 दिनांक 26.04.2025 एवं वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल ने अपने पत्रांक 1871 दिनांक 25.07.2025 द्वारा बिन्दुवार निराकरण प्रतिवेदन इस कार्यालय में समर्पित किया था। तत्पश्चात वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल द्वारा समर्पित निराकरण प्रतिवेदन में कतिपय त्रुटियॉ एवं आवश्यक अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न नहीं रहने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 947 दिनांक 26.04.2025 द्वारा छः बिन्दुओं पर पृच्छा करते हुए संशोधित निराकरण प्रतिवेदन की मॉग की गई जिसके आलोक में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल ने अपने पत्रांक 246 दिनांक 31.01.2026 द्वारा संशोधित निराकरण प्रतिवेदन इस कार्यालय में समर्पित किया है। निराकरण प्रतिवेदन की स्थिति निम्नवत् है:–

SL.No.	Query/Observation	Compliance
1	प्रस्ताव के साथ समर्पित Authenticated land schedule के जाँचोपरान्त पाया गया कि चतरा उत्तरी वन प्रमंडल मौजा–लक्षणपुर के प्लॉटसं० 216 एवं 213 तथा चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल अंतर्गत मौजा होलमगड़ा खुर्द के प्लॉटसं० 406 को अधिसूचित वनभूमि के रूप में दर्शाया गया है, जबकि उक्त तीनों प्लॉट उपायुक्त, चतरा द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार GMJJ plot है।	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल ने प्रतिवेदित किया है कि अपयोजित मौजा होलमगड़ा खुर्द का प्लॉट सं0–406 अधिसूचित वनभूमि के रूप में दर्ज है। उपायुक्त, चतरा द्वारा निर्गत फार्म–1 पत्र में उक्त प्लॉट को वनभूमि दर्शाया गया है। वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल ने प्रतिवेदित किया है कि अपयोजित मौजा लक्षणपुर का प्लॉट सं0–216 एवं 213 अधिसूचित वनभूमि के रूप में दर्ज है। उपायुक्त, चतरा द्वारा निर्गत फार्म–1 पत्र में उक्त प्लॉट को वनभूमि दर्शाया गया है।
2	प्रस्ताव के साथ निम्नांकित मौजा का ग्राम Cadastral मानचित्र पत्र लोकेशन दर्शाते हुए समर्पित नहीं किया गया है :– • होलमगड़ा खूर्द • मिश्रौल • कुल्लू • तपेज • नगवॉ	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल ने प्रतिवेदित किया है कि उल्लेखित सभी मौजों का Cadastral मानचित्र पर लोकेशन दर्शाते हुए संशोधित Cadastral मानचित्र प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल से संबंधित नहीं है।

3	प्रस्ताव के साथ समर्पित Topo map पर Toposheet संख्या अंकित नहीं है।	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी / उत्तरी वन प्रमण्डल ने प्रतिवेदित किया है कि टोपोमैप पर टोपोशीट संख्या सहित प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।
4	प्रस्ताव के साथ परियोजना का Layout plan समर्पित नहीं है।	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी / उत्तरी वन प्रमण्डल ने प्रतिवेदित किया है कि प्रस्ताव के साथ परियोजना का Layout Plan समर्पित कर दिया गया है।
5	प्रस्ताव के साथ चतरा उत्तरी वन प्रमंडल अंतर्गत पड़ने वाली गैर वनभूमि की भूमि अनुसूची (Land schedule mentioning length & width) समर्पित नहीं है।	चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल से संबंधित नहीं है। वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल ने प्रतिवेदित किया है कि उनके प्रमण्डल अंतर्गत पड़ने वाली गैर वनभूमि की भूमि अनुसूची (Land schedule mentioning length & width) प्रस्ताव के साथ समर्पित कर दिया गया है।
6	प्रस्ताव के साथ No violation of FC Act, 1980 से संबंधित Undertaking समर्पित नहीं है।	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी / उत्तरी वन प्रमण्डल ने प्रतिवेदित किया है कि प्रस्ताव के साथ No violation of FC Act, 1980 से संबंधित Undertaking समर्पित कर दिया गया है।
7	ऑनलाईन फॉर्म–A, पार्ट–I, क्रमसं०–(iii) "प्रस्ताव का संक्षिप्त वर्णन" में वनभूमि का रकवा 0.4114 अंकित है, जबकि 0.3928 हे० वनभूमि अपयोजन के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अतएव, फॉर्म–A,पार्ट–I,में वांछित सुधार की आवश्यकता है।	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी / उत्तरी वन प्रमण्डल ने प्रतिवेदित किया है कि फॉर्म–A, पार्ट–1 में वनभूमि का रकवा संशोधित कर दिया गया है।
8	प्रस्ताव के साथ चतरा उत्तरी वन प्रमंडल अंतर्गत Employment generation संबंधी सूचना सलंग्न नहीं है।	चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल से संबंधित नहीं है। वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल ने प्रतिवेदित किया है कि प्रस्ताव के साथ Employment generation संबंधी सूचना संलग्न कर दिया गया है।
9	ऑनलाईनफॉर्म–A,पार्ट–I,क्रमसं०B-2.3 में कुल वनभूमि का रकवा 0.3891 हे० अंकित किया गया है, जबकि 0.3928 हे० वनभूमि अपयोजन के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अतएव, फॉर्म–A,पार्ट–I,में वांछित सुधार की आवश्यकता है।	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी / उत्तरी वन प्रमण्डल ने प्रतिवेदित किया है कि फॉर्म–A, पार्ट–1 में वनभूमि का रकवा सुधार कर दिया गया है।
10	चतरा उत्तरी वन प्रमंडल अंतर्गत प्राप्त प्रस्ताव में paging एवं Annexure को ठीक ढंग से चिन्हित नहीं किया गया है।	चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल से संबंधित नहीं है। वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल ने प्रतिवेदित किया है कि प्रस्ताव में Paging एवं Annexure को सही से मिलान कर भेजा जा रहा है।

अतः वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी / उत्तरी वन प्रमण्डल द्वारा समर्पित प्रस्ताव की छः मूल प्रतियॉ इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनु0–यथोक्त।

आपका विश्वासी,

13/02/2026

वन संरक्षक,

प्रादेशिक अंचल, चतरा।

GAil (Forwading)